



Neutral Citation No. -2026:AHC:16706

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

जनहित याचिका (पी.आई.एल.) संख्या - 4003 वर्ष 2025

गिरिजा शंकर सिंह

.....याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 5 अन्य

.....प्रतिवादीगण

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता

: अरुण कुमार सिंह, जनार्दन प्रसाद पटेल,
मनोज कुमार

प्रतिवादीगण के अधिवक्ता

: भूपेन्द्र कुमार त्रिपाठी, सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या - 55

माननीय न्यायमूर्ति चंद्र कुमार राय

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता, राज्य-प्रतिवादियों की ओर से विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री अजय कुमार बरनवाल, तथा ग्राम सभा की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री भूपेन्द्र कुमार त्रिपाठी को सुना गया।

2. प्रस्तुत लोकहित याचिका निम्नलिखित राहत के लिए दाखिल की गई है :-

“(1) परमादेश की प्रकृति में रिट, आदेश अथवा निर्देश जारी करते हुए प्रतिवादी प्राधिकारियों को निर्देशित किया जाए कि वे ग्राम- मोहम्मदपुर मनोरथ अलावलपुर अफगा, जनपद- गाजीपुर स्थित गाटा संख्या 69, क्षेत्रफल 0.4530 हेक्टेयर, जो राजस्व अभिलेखों में पोखरी के रूप में दर्ज है, पर प्रतिवादी संख्या 6 द्वारा किए गए अवैध अतिक्रमण को इस माननीय न्यायालय द्वारा निर्धारित की जाने वाली अवधि के भीतर, न्यायहित में हटाएं।”

3. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि विवादित भूखण्ड की अभिलेखीय प्रविष्टि को दृष्टिगत रखते हुए, प्राधिकारियों को विवादित भूखण्ड से अवैध अतिक्रमण हटाने के लिए तत्काल कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया जाए। उन्होंने आगे यह भी प्रस्तुत किया कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 67 के अंतर्गत निजी प्रतिवादी संख्या 6 के विरुद्ध वाद संख्या टी202314291100197 पूर्व से ही पंजीकृत है, किन्तु प्रतिवादी संख्या 4- तहसीलदार, कासिमाबाद, गाजीपुर इस मामले में विधि के अनुसार कार्यवाही नहीं कर रहे हैं।

4. मैंने याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया तथा अभिलेखों का अवलोकन किया।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



5. इस तथ्य के संबंध में कोई विवाद नहीं है कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 67 के अंतर्गत निजी प्रतिवादी संख्या 6 के विरुद्ध वाद संख्या टी202314291100197 पूर्व से ही पंजीकृत हैं।

6. प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए, प्रस्तुत लोकहित याचिका का अंतिम रूप से निस्तारण करते हुए प्रतिवादी संख्या 4- तहसीलदार, कासिमाबाद, गाजीपुर को निर्देशित किया जाता है कि वह उपर्युक्त उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 67 के अंतर्गत लंबित कार्यवाही का पक्षकारों को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए, विधि के अनुसार, यथाशीघ्र निर्णय करें।

(न्यायमूर्ति चंद्र कुमार राय)

जनवरी 22, 2026

पी.एस.*

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।